

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 852 सन 2020

अनवान :-

1. रामलाल पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सिन्धुदेवी पत्नी जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. राजुराम पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. मेदाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. मंगलाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. तेजाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. सन्तोष पत्नी नोपाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. नन्दकिशोर पुत्र नोपाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
9. अमरुराम पुत्र तीजोदवी पुत्री चुन्नीराम पत्नी बालुराम जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
10. दानाराम पुत्र तीजोदवी पुत्री चुन्नीराम पत्नी बालुराम जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
11. जगदीश पुत्र तीजोदवी पुत्री चुन्नीराम पत्नी बालुराम जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
12. शंकरलाल पुत्र तीजोदवी पुत्री चुन्नीराम पत्नी बालुराम जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
13. प्रेमेश्वरी पुत्री तीजोदवी पुत्री चुन्नीराम पत्नी बालुराम जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
14. बनारसी पत्नी पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
15. धर्मपाल पुत्र पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
16. पतराम पुत्र पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
17. भंवरी पुत्री पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
18. गीता पुत्री पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
19. सोना पुत्री पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
20. सरोज पुत्री चावली पुत्री तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
21. ओमप्रकाश पुत्र चावली पुत्री तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
22. किरण पुत्री चावली पुत्री तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
23. गोमती पुत्री सन्तोष पुत्री चावली पत्नी हनुमानाराम जाति नायक निवासी पीथीसर तहसील व जिला चुरु।
24. देवकरण पुत्र सन्तोष पुत्री चावली पत्नी हनुमानाराम जाति नायक निवासी पीथीसर तहसील व जिला चुरु।
25. राकेश पुत्र सन्तोष पुत्री चावली पत्नी हनुमानाराम जाति नायक निवासी पीथीसर तहसील व जिला चुरु।
26. सुनीता पुत्री सन्तोष पुत्री चावली पत्नी हनुमानाराम जाति नायक निवासी पीथीसर तहसील व जिला चुरु।

उपखण्ड अडि...
नोहर

27. आचुकी पुत्री चुन्नीराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 199/201 के खसरा न0 923/1398 की 2.0873हैक् खाता संख्या 200/202 के खसरा न0 922 की 2.9980हैक् व खाता संख्या 672/655 के खसरा न0 384 की 10.2971हैक् भूमि में 3.43236हैक् तीनों खातों में 8.51766हैक् मृतक सोहन पुत्र चुन्नी, जेठाराम पुत्र चुन्नी, नानुडी पत्नी चुन्नी तीजा पुत्री चुन्नी के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चुन्नी पुत्र हीराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी चुन्नीराम पुत्र हीराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उसके वारिसान पुत्र/पुत्री/पत्नी के नाम से दर्ज हुई अर्थात पत्नि नानुडी, पुत्र जेठाराम, व सोहन के नाम से दर्ज हुई चुन्नीराम के तीनों वारिसान पत्नि नानुडी, पुत्र जेठाराम, व सोहन को देहान्त हो चुका है जिसमें से सोहन लावल्द फोट हुआ इसलिये सोहन की हक हिस्से की भूमि तीजा व जेठा के वारिसान को प्राप्त हुई है।

चुन्नी पुत्र हीराराम के देहान्त होने उसके हक हिस्से की भूमि उसके पुत्र/पुत्रीयों /पत्नि के नाम से दर्ज हुई अर्थात नानुडी,जेठाराम, सोहना के नाम से दर्ज हुई इन तीनों का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया एव पुत्र/पुत्रीयों के वारिसान एवं मृतक पुत्र/पुत्रीयों के वारिसान हुए अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 वाद भूमि के हकदार हुए।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादी की बहन माता व जेठाराम की पत्नि/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 27 जेठाराम की पुत्रीया एवं मृतक तीजा पुत्री चुन्नीराम मृतक सरबती, चावली के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 9 ता 27 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 अपने हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके पूर्वज चुन्नीराम वल्द हीराराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके वारिसान उसकी पत्नी नानुडी, पुत्री जेठाराम, सोहना के नाम से दर्ज हुई जिनका भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया मृतक पुत्र/पुत्रीयों के वारिसान वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 9 ता 27 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/मामा आदि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिवक्ता
नोहर

3 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 28 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 199/201 के खसरा न0 923/1398 की 2.0873हैक खाता संख्या 200/202 के खसरा न0 922 की 2.9980हैक व खाता संख्या 672/655 के खसरा न0 384 की 10.2971हैक भूमि में 3.43236हैक तीनों खातों में 8.51766हैक मृतक सोहन पुत्र चुन्नी, जेठाराम पुत्र चुन्नी, नानुडी पत्नी चुन्नी तीजा पुत्री चुन्नी के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चुन्नी पुत्र हीराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी चुन्नीराम पुत्र हीराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उसके वारिसान पुत्र/पुत्री/पत्नी के नाम से दर्ज हुई अर्थात पत्नि नानुडी, पुत्र जेठाराम, व सोहन के नाम से दर्ज हुई चुन्नीराम के तीनों वारिसान पत्नि नानुडी, पुत्र जेठाराम, व सोहन को देहान्त हो चुका है जिसमें से सोहन लावलद फोट हुआ इसलिये सोहन की हक हिस्से की भूमि तीजा व जेठा के वारिसान को प्राप्त हुई है।


चुन्नी पुत्र हीराराम के देहान्त होने उसके हक हिस्से की भूमि उसके पुत्र/पुत्रीयों /पत्नि के नाम से दर्ज हुई अर्थात नानुडी,जेठाराम, सोहना के नाम से दर्ज हुई इन तीनों का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया एव पुत्र/पुत्रीयों के वारिसान एवं मृतक पुत्र/पुत्रीयों के वारिसान हुए अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 वाद भूमि के हकदार हुए।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादी की बहन माता व जेठाराम की पत्नि/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 27 जेठाराम की पुत्रीया एवं मृतक तीजा पुत्री चुन्नीराम मृतक सरबती , चावली के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 9 ता 27 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 199/201 के खसरा न0 923/1398 की 2.0873हैक खाता संख्या 200/202 के खसरा न0 922 की 2.9980हैक व खाता संख्या 672/655 के खसरा न0 384 की 10.2971हैक भूमि में 3.43236हैक तीनों खातों में 8.51766हैक मृतक सोहन पुत्र चुन्नी, जेठाराम पुत्र चुन्नी, नानुडी पत्नी चुन्नी तीजा पुत्री चुन्नी के नाम से दर्ज है।

 उपखण्ड अधिकारी
बोहर

भूमि पूर्व में वादी के दादा चुन्नी पुत्र हीराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी चुन्नीराम पुत्र हीराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उसके वारिसान पुत्र/पुत्री/पत्नी के नाम से दर्ज हुई अर्थात पत्नि नानुडी, पुत्र जेठाराम, व सोहन के नाम से दर्ज हुई चुन्नीराम के तीनों वारिसान पत्नि नानुडी, पुत्र जेठाराम, व सोहन को देहान्त हो चुका है जिसमें से सोहन लावल्द फोट हुआ इसलिये सोहन की हक हिस्से की भूमि तीजा व जेठा के वारिसान को प्राप्त हुई है।

चुन्नी पुत्र हीराराम के देहान्त होने उसके हक हिस्से की भूमि उसके पुत्र/पुत्रीयों /पत्नि के नाम से दर्ज हुई अर्थात नानुडी, जेठाराम, सोहना के नाम से दर्ज हुई इन तीनों का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया एव पुत्र/पुत्रीयों के वारिसान एवं मृतक पुत्र/पुत्रीयों के वारिसान हुए अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 वाद भूमि के हकदार हुए जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 2 9 ता 27 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 9 ता 27 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्या होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,9 ता 27 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 199/201 के खसरा न0 923/1398 की 2.0873हैक भूमि में वादी का 1.92561हैक का खातेदार रहेगा शेष भूमि 0. 16169हैक भूमि में व खाता संख्या 200/202 के खसरा न0 922 की 2.9980हैक व खाता संख्या 672/655 के खसरा न0 384 की 10.2971हैक भूमि में 3.43236हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 सयुक्त तौर से बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक सोहन पुत्र चुन्नी, व जेठाराम पुत्र चुन्नी, नानुडी पत्नी चुन्नी , तीजा पुत्री चुन्नी व आचकली पुत्री चुन्नी का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर


अनवान :-

1. रामलाल पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सिन्धुदेवी पत्नी जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. राजुराम पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. मेदाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. मंगलाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. तेजाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. सन्तोष पत्नी नोपाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. नन्दकिशोर पुत्र नोपाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
9. अमरूराम पुत्र तीजोदवी पुत्री चुन्नीराम पत्नी बालुराम जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
10. दानाराम पुत्र तीजोदवी पुत्री चुन्नीराम पत्नी बालुराम जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
11. जगदीश पुत्र तीजोदवी पुत्री चुन्नीराम पत्नी बालुराम जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
12. शंकरलाल पुत्र तीजोदवी पुत्री चुन्नीराम पत्नी बालुराम जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
13. प्रेमेश्वरी पुत्री तीजोदवी पुत्री चुन्नीराम पत्नी बालुराम जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
14. बनारसी पत्नी पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
15. धर्मपाल पुत्र पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
16. पतराम पुत्र पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
17. भंवरी पुत्री पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
18. गीता पुत्री पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
19. सोना पुत्री पूर्णराम पुत्र तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
20. सरोज पुत्री चावली पुत्री तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
21. ओमप्रकाश पुत्र चावली पुत्री तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
22. किरण पुत्री चावली पुत्री तीजा जाति नायक निवासी डालमाण तहसील सरदारशहर जिला चुरू
23. गोमती पुत्री सन्तोष पुत्री चावली पत्नी हनुमानाराम जाति नायक निवासी पीथीसर तहसील व जिला चुरू
24. देवकरण पुत्र सन्तोष पुत्री चावली पत्नी हनुमानाराम जाति नायक निवासी पीथीसर तहसील व जिला चुरू
25. राकेश पुत्र सन्तोष पुत्री चावली पत्नी हनुमानाराम जाति नायक निवासी पीथीसर तहसील व जिला चुरू
26. सुनीता पुत्री सन्तोष पुत्री चावली पत्नी हनुमानाराम जाति नायक निवासी पीथीसर तहसील व जिला चुरू

 उपखण्ड अधिकारी
नोहर

27. आचुकी पुत्री चुन्नीराम जाति नायक निवारी धानसिया तहसील नोहर।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 852 सन 2020 निर्णय दिनांक- 29/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 199/201 के खसरा न0 923/1398 की 2.0873हैक् भूमि में वादी का 1.92561हैक् का खातेदार रहेगा शेष भूमि 0.16169हैक् भूमि में व खाता संख्या 200/202 के खसरा न0 922 की 2.9980हैक् व खाता संख्या 672/655 के खसरा न0 384 की 10.2971हैक् भूमि में 3.43236हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 सयुक्त तौर से बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक सोहन पुत्र चुन्नी, व जेठाराम पुत्र चुन्नी, नानुडी पत्नी चुन्नी , तीजा पुत्री चुन्नी व आचकली पुत्री चुन्नी का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



सत्यमेव जयते